राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः एफ 25(74)/परि/कम्प्यू./2016/3449 जयपुर,दिनांकः 16/02/18

कार्यालय आदेश 05/2018

विभाग द्वारा जिन उप परिवहन कार्यालयों में उपयुक्त क्षमता की इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है उन उप परिवहन कार्यालयों के स्तर पर भी 'सारथी 4.0' का संचालन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उप परिवहन कार्यालयों के स्तर पर आवश्यक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अतः उप परिवहन कार्यालयों से 'सारथी 4.0' के माध्यम से लाईसेंस संबंधि सेवाऐं प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. जिन कार्यालयों में कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गयी है उन सभी उप परिवहन कार्यालयों से चालक लाईसेंस जारी करने का कार्य केवल 'सारथी 4.0' सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जावे।
2. शेष उप परिवहन कार्यालयों में कनेक्टिविटी उपलब्ध होने के उपरांत 'सारथी 4.0' का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जावे।
3. उप परिवहन कार्यालयों से 'सारथी 4.0' के माध्यम से स्थाई लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया के चरण एवं उन्हे संपादित किये जाने का स्थान निम्नानुसार रहेगा –

क्र.सं.	गतिविधी	गतिविधी संपादित किये जाने का स्थान
1	online application submission (for concerned sub office)	e-Mitra/Cyber Café/Home
2	Fee payment	Online/concerned sub office
3	Document verification	concerned sub office
4	Bio metrics capture	concerned sub office
5	DL Test	concerned sub office
6	Approval of DL	concerned sub office
7	Printing and KMS of DL	concerned RTO/DTO office
8	Distribution of DL	concerned sub office

4. 'सारथी 4.0' के वेब आधारित होने के कारण जिला परिवहन कार्यालयों को उप परिवहन कार्यालयों से जारी लाईसेंस का डेटा electronically उपलब्ध होगा अतः

Scanned by CamScanner

संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट कर KMS करने के उपरांत संबंधित उप परिवहन कार्यालयों को प्रतिदिन भिजवाये जाने होंगे।

उक्त आदेशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः एफ 25(74)/परि/कंप्यू./2016/3450-3454 जयपुर, दिनांकः-16/02/18

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी....................................।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

15/4/2018

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned by CamScanner